Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

પ્રધાનમંત્રી
કિસાન સમૃદ્ધિ કેન્દ્ર

सहकारिता भारत के लिए
बहुत प्राचीन व्यवस्था है।
हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है –

अल्पानाम् अपि वस्तूनाम्,
संहतिः कार्य साधिका ॥

अर्थात, छोटी-छोटी वस्तुएं, थोड़े-थोड़े संसाधन भी जब साथ जोड़ दिये जाते हैं, तो उनसे बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

'सहकारिता' दशकों से भारतीय संस्कृति का प्राण रही है। यह विचार भारत का विचार है।

हमारी संस्कृति का प्राण तत्व ही सहकारिता है और भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता का विचार देने एवं सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम किया है।

श्री अमित शाह

माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

संदेश

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा व्यक्त किए गए 'सहकार से समृद्धि' का प्रेरणादायक विजन सहकारिता और सामूहिक प्रगति की ताकत के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाएगा। मैं नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को आकार देने में दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट समर्थन के लिए माननीय सहकारिता मंत्री और भारत के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका मार्गदर्शन समावेशी और सतत विकास के गतिशील स्तंभ के रूप में सहकारी क्षेत्र की पुनर्कल्पना करने में महत्वपूर्ण रहा है ।

नई सहकारिता नीति पर राष्ट्र स्तरीय ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में, सहकारी आंदोलन की विविधता को दर्शाते हुए, पूरे भारत में हितधारकों के साथ परामर्श करना और जुड़ना मेरा एक सौभाग्य था। मैं समिति के सभी सदस्यों, सहकारिता मंत्रालय, राज्य सरकारों, वैमनीकॉम और सहकारी समितियों के अधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिनकी अंतर्दृष्टि और योगदान ने इस नीति को वास्तव में समावेशी बना दिया है ।

मेरे लिए, 25 वर्ष की आयु से ही सहकारी क्षेत्र से जुड़े होने और विभिन्न क्षेत्रों तथा गांवों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम करने के साथ-साथ इस ऐतिहासिक नीति का हिस्सा बनना, जो भारत की विकास यात्रा के केंद्र में सहकारिता की भावना को मजबूत करेगी, एक बहुत गर्व की बात है ।

(सुरेश प्रभाकर प्रभु)

पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, राष्ट्र स्तरीय ड्राफ्टिंग समिति, नई सहकारिता नीति

सत्यमेव जयते

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

अनुक्रमणिका

पृष्ठभूमि 3

1. भूमिका 5
2. विज़न, मिशन और उद्देश्य 8
3. रणनीतिक मिशन स्तंभ I: नींव का सशक्तीकरण 11
4. रणनीतिक मिशन स्तंभ II: जीवंतता को प्रोत्साहित करना 17
5. रणनीतिक मिशन स्तंभ III: सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना 20
6. रणनीतिक मिशन स्तंभ IV: समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुँच का विस्तार 23
7. रणनीतिक मिशन स्तंभ V: नए क्षेत्रों में विस्तार 25
8. रणनीतिक मिशन स्तंभ VI: सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना 27
9. निगरानी और कार्यान्वयन संरचना 30

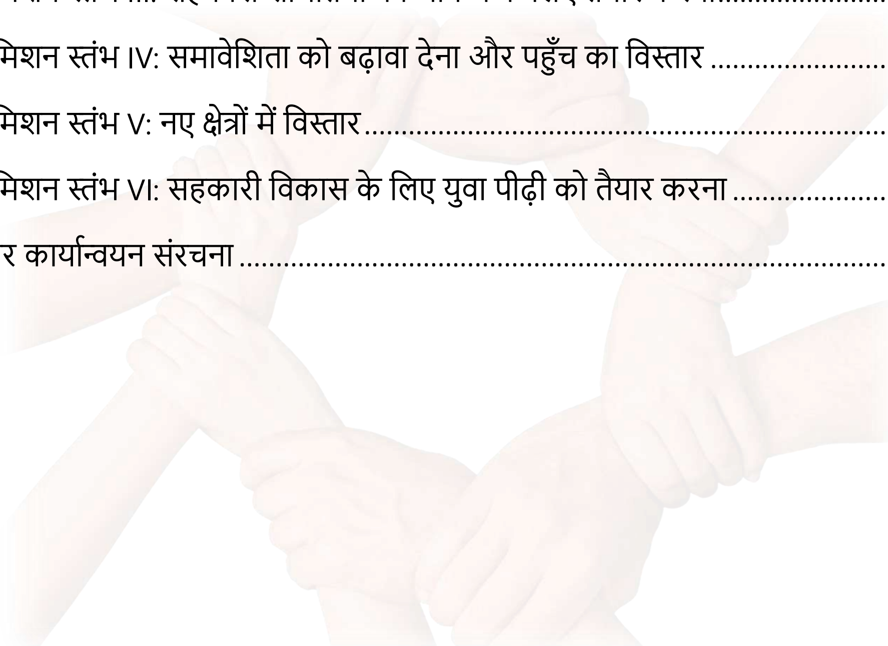

संक्षेपाक्षरों की सूची

संक्षेपाक्षर	परिभाषा
ARDB	Agriculture and Rural Development Bank
BBSSL	Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited
CEF	Cooperative Education Fund
CRCS	Central Registrar of Cooperative Societies
DCCB	District Central Cooperative Bank
DEH	Districts as Export Hubs
EBP	Ethanol Blending Programme
ERP	Enterprise Resource Planning
FPO	Farmer Producer Organization
FISHCOPFED	National Federation of Fishermen's Cooperatives Limited
FFPO	Fish Farmer Producer Organization
GDP	Gross Domestic Product
GeM	Government e-Marketplace
GI	Geographical Indication
GoI	Government of India
HEI	Higher Education Institution
IFFCO	Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited
IoT	Internet of Things
IPR	Intellectual Property Rights
KPI	Key Performance Indicators
KRIBHCO	Krishak Bharati Cooperative Limited
MoC	Ministry of Cooperation
MSCS	Multi-State Cooperative Societies
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development
NAFCUB	National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Limited
NAFED	National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited
NAFSCOB	National Federation of State Cooperative Banks Limited
NCCT	National Council for Cooperative Training
NCD	National Cooperative Database
NCDC	National Cooperative Development Corporation
NCDFI	National Cooperative Dairy Federation of India
NCEL	National Cooperative Exports Limited
NCOL	National Cooperative Organics Limited
NCP	National Cooperation Policy
NCUI	National Cooperative Union of India
NDDB	National Dairy Development Board
NFDB	National Fisheries Development Board
NUCFDC	National Urban Cooperative Finance & Development Corporation
ODOP	One District One Product
ONDC	Open Network for Digital Commerce
PACS	Primary Agricultural Credit Societies
PMU	Project Management Unit
RBI	Reserve Bank of India
RCS	Registrar of Cooperative Societies
SC/ST	Scheduled Castes and Scheduled Tribes
SEI	Social Enterprise Incubators
SRO	Self-Regulatory Organization
StCB	State Cooperative Bank
UCB	Urban Cooperative Bank
VAMNICOM	Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management

पृष्ठभूमि

I. भारतीय समाज की नींव में ही सहकारिता रची-बसी है, जो सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को मिल-जुलकर प्राप्त करने की भावना को बढ़ावा देती है।

II. सहकारितावाद (cooperativism) सामूहिक भागीदारी, सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण और साझा लाभों पर आधारित एक सामाजिक-आर्थिक प्रणाली है, जहाँ व्यक्ति स्वेच्छा से आपसी सहयोग और आर्थिक विकास के लिए एकजुट होकर सहकारी समितियाँ बनाते हैं। यह सहक्रियात्मक दृष्टिकोण (synergistic approach) को दर्शाता है - जिससे समता, समावेशिता और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों की वकालत करते हुए दक्षता, नवाचार और बाजार की गतिशीलता का लाभ मिलता है। यह संलयन (fusion) वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के लिए एक मजबूत विकल्प देता है और एक ऐसा मॉडल प्रदान करता है जो आर्थिक विकास और सामूहिक कल्याण दोनों को प्राथमिकता देता है।

III. भारत में दुनिया की एक-चौथाई से भी अधिक सहकारी समितियाँ हैं और लगभग एक-तिहाई भारतीय ग्रामीण जनसंख्या सीधे तौर पर इनसे अपनी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के लिए जुड़ी हुई है।

IV. भारत में सहकारिता आंदोलन 100 वर्षों से अधिक समय से लोगों की भागीदारी से सामाजिक उत्थान का आधार रहा है। भारत की सहकारी समितियाँ मूल सहकारी सिद्धांतों पर चलती हैं और ये समितियाँ सदस्यों के सामूहिक स्वामित्व में होती है, उनके द्वारा चलाई जाती हैं और उनको लाभान्वित करती है।

V. देश के ग्रामीण अर्थतंत्र के विकास हेतु, सहकारी आंदोलन को मजबूती देने और उसे घर-घर तक पहुचानें के लिए, भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया।

VI. पिछले दशक के दौरान ग्रामीण भारत सड़क, आवासन, दूरसंचार, बिजली, शौचालय, इत्यादि बुनियादी भौतिक अवसंरचनाओं के अभूतपूर्व विकास का साक्षी रहा है। इसने ग्रामीण आकांक्षाओं को कई गुणा बढ़ा दिया है। अब आधारभूत ढांचा (Basic Infrastructure) तैयार हो चुका है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और

भी मजबूत, संगठित और बाजार से जोड़ने की जरूरत है। ऐसे में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल भारत के विकास का दूसरा इंजन बन कर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।

VII. 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025' का उद्देश्य – भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करना है। इसके तहत देश की जनता की आकांक्षाओं और संसाधनों को सहकारी ढाँचे से जोड़ा जाएगा, ताकि सहकारी क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अहम भूमिका निभा सके। जिससे समावेशी विकास का एक नया युग शुरू हो सके।

VIII. यह नीति मानती है कि सहकारी संस्थाएँ आर्थिक विकास का एक प्रभावशाली साधन हैं, क्योंकि इनमें आपसी सहयोग, समुदाय की भावना, लाभ का समान वितरण और लोकतांत्रिक तरीके से काम करने जैसी विशेषताएँ होती हैं। इसके साथ-साथ यह नीति राष्ट्रीय फेडरेशनों/यूनियनों की भूमिका को भी अहम मानती है।

IX. माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सितंबर 2022 को नई सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की अध्यक्षता श्री सुरेश प्रभु, पूर्व केंद्रीय मंत्री, को सौंपी गई। इस समिति में देश भर के विभिन्न सहकारी फेडरेशनों, संस्थाओं, केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।

X. इस नीति का मसौदा कई स्तरों पर विचार-विमर्श और क्षेत्रीय कार्यशालाएँ के जरिए तैयार किया गया। समिति ने 17 बैठकें और 4 क्षेत्रीय कार्यशाला (अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम और पटना में) आयोजित कीं और परामर्श प्रक्रिया के तहत कुल 648 सुझाव प्राप्त किए। इन सभी सुझावों पर विस्तार से चर्चा कर उन्हें नीति में शामिल किया गया।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025

1. भूमिका

1.1. सहकारी समिति स्वैच्छिक रूप से एकजुट लोगों की एक स्वायत्त संस्था है, जो संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से संचालित उद्यम के माध्यम से अपनी साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हैं।

1.2. भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें लगभग 2 लाख क्रेडिट और 6 लाख गैर-क्रेडिट सहकारी समितियाँ हैं। गैर-क्रेडिट सहकारी समितियाँ मुख्यत: आवास, डेयरी, श्रमिक, चीनी, उपभोक्ता, विपणन, मात्स्यिकी, वस्त्र, सेवा, प्रसंस्करण, अस्पताल जैसे अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, लगभग 30 करोड़ की कुल सदस्यता वाले सहकारी क्षेत्र में केवल प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) में ही 13 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जो देश भर में फैले हैं।

1.3. वर्ष 2002 में जारी पिछली सहकारिता नीति, सहकारी समितियों द्वारा प्रभावशाली रूप से आर्थिक कार्यकलापों को व्यवस्थित करने के बुनियादी आयामों पर केंद्रित थी। पिछले 20 वर्षों के दौरान विश्व ने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बड़े परिवर्तन देखे हैं। ये परिवर्तन वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति, विशेषकर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हुए हैं। इसे देखते हुए यह आवश्यक था कि इस नीति पर पुनर्विचार करके सहकारी समितियों की उभरती जरूरतों को पूरा करने और मौजूदा परिदृश्य में इस क्षेत्र की सततता (sustainability) सुनिश्चित करने के लिए एक नई नीति बनायी जाए।

1.4. सहकारी समितियों की स्थापना को भारतीय संविधान के अधीन एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने और एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना से एक नए युग की शुरुआत हुई है। "किसानों, महिलाओं और ग्रामीण विकास" को अपने केंद्र में रखते हुए सहकारी आंदोलन में बदलाव के साथ-साथ सहकारी समितियों को मजबूत बनाना, राष्ट्रीय परिसंघों को मार्गदर्शक बनाना और इन संस्थानों को आगे बढ़ने में केंद्र व राज्य सरकार, दोनों का अपेक्षित सहयोग एवं मान्यता देना, इस युग की आवश्यकता है। अत:, एक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की तत्काल आवश्यकता है।

1.5. भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अभिव्यक्त "*सहकार से समृद्धि*" की परिकल्पना हितधारकों को प्रेरित करने और इस सेक्टर में विश्वास बनाए रखने का एक प्रभावशाली संदेश देती है। इसने मंत्रालय और

सहकारी क्षेत्र को उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है।

1.6. नीति निर्माताओं के समक्ष एक सुनियोजित नीति बनाने की जिम्मेदारी थी कि वे युवा आबादी, बढ़ती आकांक्षाओं और तकनीकी क्षेत्र में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त परिकल्पना को धरातल पर साकार करने के लिए एक रोडमैप का निर्माण करें।

1.7. सुनियोजित परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से "*सहकार से समृद्धि*" की परिकल्पना को साकार करने हेतु रोडमैप बनाने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करने पर ध्यान देते हुए सहकारी क्षेत्र में क्रमिक, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है।

1.8. वर्ष 2021 में स्थापित होने के बाद से ही सहकारिता मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक पहलें की गईं हैं। इनमें से प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

क) सहकारी समितियों का सशक्तीकरण

i. PACS को बहुउद्देशीय बनाने के लिए नए मॉडल उपविधियाँ (model bye-laws),
ii. कवर न हुए सभी पंचायतों सहित 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए SOP (Standard Operating Procedures) लॉन्च की गई,
iii. सहकारिता आधारित "श्वेत क्रांति 2.0" के लिए SOP लॉन्च की गई,
iv. बहुउद्देशीय PACS द्वारा गैर-ऋण क्षेत्रों में व्यवसाय का विविधीकरण (diversification),
v. PACS स्तर पर विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना,
vi. GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों को खरीददार के रूप में शामिल करना, इत्यादि।

ख) सहकारिता में सहकार

i. निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पादों और बीज के क्षेत्र में क्रमश: तीन राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी समितियाँ,
ii. 'सहकारिता में सहकार' अभियान के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों के "बैंक मित्र" के रूप में शामिल करना, प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों को RuPay KCC का वितरण, आदि हेतु SOP लॉन्च की गई।

ग) सहकारी समितियों के लिए आयकर अधिनियम में बदलाव

i. ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ तक की आय वाली समितियों पर सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया,

ii. MAT की दर को 18.5% से घटा कर 15% किया गया,

iii. सहकारी समितियों के स्रोत पर टैक्स कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ किया गया, इत्यादि।

घ) सहकारी बैंकों को व्यवसाय में आ रही कठिनाइयाँ दूर करने हेतु लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

i. शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन की स्थापना,

ii. व्यवसाय विस्तार के लिए शहरी सहकारी बैंक अब नई शाखाएँ खोल सकेंगे,

iii. सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंको की तरह दिए गए ऋण का एकमुश्त निपटान (one time settlement) कर सकेंगे, इत्यादि।

ङ) सहकारी चीनी मिलों का सशक्तीकरण

i. उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price) और राज्य परामर्श मूल्य (State Advised Price) तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान पर राहत के रूप में अतिरिक्त आयकर नहीं,

ii. वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति,

iii. शीरा पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया, इत्यादि।

च) केंद्रीय पंजीयक कार्यालय तथा NCDC द्वारा की गयी पहलें

i. बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2023,

ii. सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को धन वापसी,

iii. NCDC द्वारा पैक्स स्तर पर नए FPO का गठन,

iv. NCDC द्वारा FFPO का गठन, इत्यादि।

1.9. उपर्युक्त पहलों के आशय और भावना को आगे बढ़ाते हुए यह नीति सहकारी क्षेत्र के विभिन्न आयामों में सुधार और पुनर्निमाण के दायरे को विस्तारित करने का उद्देश्य रखती है।

2. विज़न, मिशन और उद्देश्य

विज़न: "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करते हुए सतत (sustainable) सहकारी विकास हेतु अनुकूल वातावरण के निर्माण द्वारा वर्ष 2047 तक *'विकसित'* बनने की राष्ट्र की सामूहिक महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना।

मिशन: सहकारी आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत और सघन करने के लिए एक सक्षम विधिक, आर्थिक और संस्थागत संरचना का सृजन करना तथा लोगों (सदस्यों) द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी उद्यमों को पेशेवर रूप से प्रबंधित, पारदर्शी, तकनीक संपन्न, जीवंत और जिम्मेदार आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित होने में सहायता करना।

नीति के मिशन की प्राप्ति छह रणनीतिक मिशन स्तंभों द्वारा की जाएगी जो निम्नानुसार हैं:

I. **नींव का सशक्तीकरण**: सहकारी आंदोलन की नींव को और भी मजबूत करना।

II. **जीवंतता को प्रोत्साहित करना**: जीवंत और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) का सृजन करना।

III. **सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना**: सहकारी समितियों को पेशेवर और सतत (sustainable) आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित करना।

IV. **समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुँच का विस्तार करना:** सहकार आधारित समावेशी विकास और सहकारी समितियों को जन आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करना।

V. **नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार**: सहकारी समितियों के नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार को प्रोत्साहित करना।

VI. **सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना:** युवा पीढ़ी को प्रेरित करना और उन्हें अनुभव आधारित सहकारी ज्ञान (experiential learning) प्रदान करना, जो ग्रामीण सहकारी परिवेश से उनके जुड़ाव को विकसित करेगा।

उद्देश्य: नीति के मिशन को आगामी 10 वर्षों में निम्नलिखित 16 उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिन्हें छह रणनीतिक मिशन स्तंभों के अंतर्गत समूहबद्ध किया गया है -

नींव का सशक्तीकरण :

1. समयबद्ध सुधारों के माध्यम से अनुकूल विधिक और विनियामक माहौल निर्मित करके सहकारी समितियों को स्वायत्तता प्रदान करना, पारदर्शिता, सुगम व्यवसाय और सुशासन को बढ़ावा देना एवं उन्हें समान अवसर प्रदान करना।

2. अन्य आर्थिक संस्थानों की ही तरह उन्हें सुगम और किफायती वित्त तथा समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करना।

3. सहकारिता में सहकार, सहकारी संरचना का सशक्तीकरण और उनकी भौगोलिक पहुँच का विस्तार करना।

जीवंतता को प्रोत्साहित करना:

4. सहकारी व्यवसाय इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना।

5. अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच सहित बहुआयामी विस्तार को प्रोत्साहित करना तथा सदस्यों की आय में वृद्धि करना।

सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना:

6. प्रभावशाली और पारदर्शी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना।

7. सहकारी समितियों को सहकारी सिद्धांतों पर आधारित पेशेवर-प्रबंधित आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित होने में सहयोग करना।

समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुँच का विस्तार करना:

8. समावेशिता और सदस्य केंद्रीयता को बढ़ावा देना तथा सहकारी व्यवस्था के माध्यम से देश के सभी हिस्सों और जनता तक पहुँच बनाना।

9. विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना।

नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार करना:

10. नए और उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विस्तार को प्रोत्साहित करना।

11. सततता (sustainability) हेतु पर्यावरण-अनुकूल आचरणों और चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) को प्रोत्साहित करना।

सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना:

12. युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक करियर अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना।
13. मानकीकृत, उच्च-कोटि, सहकार-केंद्रित पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना और प्राधिकृत विषयवस्तु का निर्माण करना।
14. सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास और कौशल बढ़ाने वाले इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।
15. सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अंशकालिक विषय विशेषज्ञ (part time resource persons), उत्कृष्ट शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और अतिथि संकाय की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना।
16. सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भावी अभ्यर्थियों के लिए नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुगम इकोसिस्टम विकसित करना।

3. रणनीतिक मिशन स्तंभ I: नींव का सशक्तीकरण

सहकारी आंदोलन की नींव को मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके, एक सक्षम वातावरण बनाकर और जमीनी स्तर तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर और भी सशक्त किया जाएगा। अनुकूल विधिक और विनियामक संरचना का सृजन, किफायती वित्त, सहकारिता में सहकार और भौगोलिक पहुँच में विस्तार इस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग हैं।

3.1 समयबद्ध सुधारों के माध्यम से अनुकूल विधिक और विनियामक माहौल निर्मित करके सहकारी समितियों में स्वायत्तता, पारदर्शिता, सुगम व्यवसाय और सुशासन को बढ़ावा देना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ:

3.1.1 स्वायत्तता, सुगम व्यवसाय में वृद्धि और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अपने संबंधित सहकारी सोसाइटी अधिनियमों और नियमों में यथोचित संशोधन के लिए प्रोत्साहित करना जिससे:

3.1.1.1. सदस्यों द्वारा स्वायत्त कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक रूप से कार्य सुनिश्चित हो सके,

3.1.1.2. सहकारी समितियों में सेवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी डिलीवरी की एक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके,

3.1.1.3. निदेशक मंडल और पदाधिकारियों का स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित हो सके,

3.1.1.4. पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएँ सुनिश्चित हो सके,

3.1.1.5. लोकतांत्रिक, पारदर्शी और डेटा आधारित निर्णय लेना संभव हो सके।

3.1.2 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अपने संबंधित सहकारी सोसाइटी अधिनियमों, नियमों और सहकारी समितियों की उपविधियों में यथोचित संशोधन करके best practices को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अतिरिक्त, किसी भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों या विदेशों में भी प्रचलित best practices के संकलन का समर्थन करना।

3.1.3 राज्यों को अपनी राज्य सहकारिता नीति का इस प्रकार से तैयार/सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे सहकारी समितियों के विकास के साझा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर सकें।

3.1.4 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को राज्य पंजीयक के कार्यालयों (उनके संबंधित अधिनियमों में यथा उपबंधित) को कागज-रहित बनाने के लिए उनकी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने हेतु प्रोत्साहित करना जिससे:

3.1.4.1. सहकारी समितियों द्वारा पंजीयक कार्यालयों के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के संवाद और इंटरएक्शन (interaction) को वेब पोर्टल, ई-मेल मेसेजिंग, मोबाइल फोन आधारित मैसेज, इत्यादि जैसे ऑनलाइन डिजिटल माध्यम द्वारा किया जाना,

3.1.4.2. सहकारी समितियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय डेटाबेस स्थापित करना और उसे सहकारिता मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित मौजूदा NCD के साथ रियल टाइम अपडेट हेतु एकीकृत करना।

3.1.5 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कमजोर सहकारी समितियों के पुनरुद्धार हेतु संस्थागत प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3.1.6 जहाँ कहीं सहकारी समितियों पर कॉरपोरेट से अधिक कर लगता हो, वहाँ उसे घटाकर बराबर करना और सहकारी समितियों को कॉरपोरेट के लिए उपलब्ध सेक्टर विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहनों और रियायतों के लिए पात्र बनाना।

3.1.7 "सरकार के समग्र दृष्टिकोण" (whole of Government approach) के आधार पर सहक्रिया (synergy) हेतु सहकारी समितियों से संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का अभिसरण (convergence) करना।

3.1.8 जमीनी स्तर पर कार्यान्वित की जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट कर उनकी भूमिका को सशक्त करना और अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को प्रोत्साहित करना।

3.1.9 सहकारिता की भावना पर आधारित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सर्वोत्तम समितियों से सीखने को बढ़ावा देने

के लिए सेक्टर-वार और राज्य-वार सहकारी समितियों की वेब पोर्टल द्वारा निरंतर रैंकिंग हेतु समग्र प्रदर्शन सूचकांक के विकास को प्रोत्साहित करना।

3.2 अन्य आर्थिक संस्थानों की तरह सुगम, किफायती वित्त और समान व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देना

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ:

3.2.1 किफायती ऋण संवितरित करने और लोकतांत्रिक स्वरूप बरकरार रखने के लिए त्रि-स्तरीय संरचना (प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक) को संरक्षित और प्रोत्साहित करना।

3.2.2 सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय समावेशिता की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते हुए व्यवहार्यता के आधार पर कवर न हुए प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति, प्रत्येक जिले में एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्रत्येक शहरी क्षेत्र में एक शहरी सहकारी बैंक की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

3.2.3 सहकारी बैंकों को व्यवहार्यता के आधार पर नई शाखाएँ खोलने और वित्तीय उत्पादों व सेवाओं में विविधीकरण द्वारा अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए पहुँच और दायरा में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करना।

3.2.4 सहकारी बैंकों के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक के गठन को बढ़ावा देना ताकि उनकी वास्तविक क्षमता का दोहन किया जा सके और समर्थन, क्षमता निर्माण, professionalism, व्यावसायिक अवसर आदि प्रदान किए जा सकें।

3.2.5 बेहतर ग्राहक अनुभूति, बेहतर प्रचालन क्षमता और जोखिम एवं धोखाधड़ी निवारण हेतु सशक्त साइबर सुरक्षा रणनीति के लिए बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल प्रौद्योगिकी के स्वीकरण को प्रोत्साहित करना, जिसमें:

3.2.5.1 विभिन्न स्तरों के सहकारी बैंकों के लिए कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर,

3.2.5.2 ग्रामीण सहकारी बैंकों को साझा IT-infra प्रदान करने के लिए एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था का निर्माण।

3.2.6. UCBs को सशक्त करने के लिए हाल ही में स्थापित इनके अम्ब्रेला संगठन (NUCFDC) को निम्नानुसार प्रोत्साहित करना:

3.2.6.1. UCBs को अपने ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए एक कॉमन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का विकास और पेशेवर प्रबंधन करना,

3.2.6.2. UCBs की इक्विटी (equity) को सब्सक्राइब (subscribe) करना,

3.2.6.3. अल्पकालिक लिक्विडिटी (liquidity) के लिए सहायता करना,

3.2.6.4. ग्राहकों की सुरक्षा और नैतिकता, समानता, professionalism, आदि को बढ़ावा देने के लिए नियमों और विनियमों को तैयार करने तथा उन्हें लागू करने के लिए RBI से SRO का दर्जा प्राप्त करना, इत्यादि।

3.2.7. सरकारी कारोबार करने के लिए पात्र बनाने हेतु सहकारी बैंकों को सशक्त करने में सहयोग करना।

3.2.8. दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के अतिरिक्त, सहकारी क्रेडिट संरचना को प्रोत्साहित करना।

3.2.9. सहकारी ऋण संस्थानों (जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB), प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS), कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (ARDB) और भूमि विकास बैंक, आदि) की समस्याओं की समग्र समीक्षा करने और उन समस्याओं के समाधान सुझाने के साथ-साथ दीर्घकालिक ऋण एवं DCCB के जमा (deposits) में वृद्धि हेतु रोडमैप की सिफारिश करने के लिए एक कार्यबल का गठन करना।

3.2.10. सहकारी समितियों के लिए आदर्श विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (DPRs), व्यवसाय व्यवहार्यता अध्ययनों और बैंक-योग्य परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में मदद के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों को प्रोत्साहित करना।

3.2.11. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकलापों और दायरे का विस्तार करना और उसे कम से कम दरों पर पूँजी की व्यवस्था करने के लिए सक्षम बनाना, ताकि वह सहकारी समितियों को कम दरों पर ऋण दे सके।

3.3. सहकारिता में सहकार को बढ़ाना, सहकारी संरचना को सशक्त करना और भौगोलिक पहुँच का विस्तार करना

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ:

3.3.1. सहकारी समितियों को आपसी लाभकारी शर्तों पर नई अवसंरचना के निर्माण और मौजूदा अवसंरचना को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

3.3.1.1. जैविक उत्पाद प्रमाणन, गैर-खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाएँ, मृदा परीक्षण सुविधाएँ, पशु चिकित्सा सेवाएँ, भांडागारों, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों (जैसे मछली, सब्जी, आदि) के लिए शीतागार (cold storage), प्रभावशाली आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स, इत्यादि सहित खाद्य और बीज गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए साझा सेवाएँ प्रदान करने हेतु पंचायत/जिला स्तर पर भौतिक अवसंरचना साझा करना,

3.3.1.2. प्रौद्योगिकी को अपनाने (technology adoption) में आने वाली उच्च लागत को कम करने के लिए साझा डिजिटल अवसंरचना (जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, आदि) के विकास को प्रोत्साहित करना।

3.3.2. सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने और उनका अनुकरण करने के लिए सेक्टोरल राष्ट्रीय परिसंघों को सहकारी क्षेत्र में प्रचलित best practices पर सक्सेस स्टोरीज (success stories) का संकलन करने हेतु प्रोत्साहित करना।

3.3.3. सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को सहकारी बैंकों में अपना बैंक खाता खोलने और वित्तीय सेवाएँ लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

3.3.4. किसान क्रेडिट कार्ड सहित बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की डोरस्टेप डिलिवरी हेतु PACS के साथ-साथ अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के 'बैंक मित्र' के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना।

3.3.5. आगामी पाँच वर्षों में कवर न हुए सभी पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियाँ, प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों और प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों तथा अन्य सेक्टोरल प्राथमिक

सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

3.3.6. अपेक्षित संस्थागत और वित्तीय सहयोग प्रदान करके सुदूर क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारी समितियों को सशक्त करना और उनकी पहुँच को बढ़ाना।

3.3.7. अपने प्राथमिक सदस्यों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता देने की बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ऊपरी स्तरों के सहकारी संघों/परिसंघों के सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना।

3.3.8. प्राथमिक समितियों, जिला और राज्य स्तर के परिसंघों को IFFCO, KRIBHCO, NAFED, आदि जैसी राष्ट्रीय सहकारी समितियों और नवस्थापित राष्ट्रीय स्तर की तीन बहुराज्य सहकारी समितियाँ - NCOL, NCEL, और BBSSL का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करना।

3.3.9. राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों/संघों को सहकारी क्षेत्र के पुनरुद्धार में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उनके द्वारा सदस्य सहकारी समितियों को पारदर्शिता और सुशासन हेतु best practices का विकास करने और उन्हें अपनाने एवं सहकारी क्षेत्र का समर्थन (cooperative advocacy), जागरूकता और सदस्यों की शिक्षा के माध्यम से सहकारी आंदोलन को सघन करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना।

4. रणनीतिक मिशन स्तंभ II: जीवंतता को प्रोत्साहित करना

यह नीति सदस्यों को अधिक आय के लिए सहयोग तंत्र के रूप में सहकारी समितियों की जीवंतता और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की परिकल्पना करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रमुख मार्ग के रूप में यह जीवंत सहकारी इकोसिस्टम और उसके बहुआयामी विस्तार के प्रोत्साहन को चिह्नित करती है।

4.1. सहकारी व्यावसायिक इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहन

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ:

4.1.1. आत्मनिर्भर व्यवसाय सहयोग तंत्र के प्रोत्साहन द्वारा सहकारी व्यवसाय की वृद्धि और विकास के लिए जीवंत इकोसिस्टम के सृजन को बढ़ावा देना। यह तंत्र सुगम वित्त, व्यवसाय अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं जैसे विपणन, ब्रांडिंग, आदि के साथ-साथ इस पूरे क्षेत्र का विकास और क्षमता निर्माण संस्थानों को सहयोग प्रदान करेगा।

4.1.2. बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति को विकास इंजन के रूप में केंद्रित कर राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श सहकारी गांव के विकास के लिए प्रोत्साहित करना। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को विभिन्न व्यवसाय वर्टिकल्स (business verticals) के लिए सुशासन और व्यवसाय प्रबंधन आचरणों के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। जिले के अन्य गाँवों को सर्वप्रथम इस आदर्श गाँव की बराबरी करने और उसके पश्चात, राज्य में श्रेष्ठ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.1.3. शहद, मसाले, कॉफी, चाय, औषधीय व सुगंधित पौधे, रेशम के कीट, फल, मशरूम, पुष्पकृषि, पोल्ट्री उत्पाद, इत्यादि जैसे विशिष्ट ग्रामीण उपज के लिए सहकारी आर्थिक क्लस्टरों को बढ़ावा देने हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।

4.1.4. सहकारी समितियों को भौगोलिक संकेतक (geographical indications), बौद्धिक संपदा अधिकार (intellectual property rights) और ट्रेडमार्क के माध्यम से विपणन के अवसरों को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना।

4.1.5. "भारत" नामक अंब्रेला ब्रांड के अधीन सभी जैविक, कृषि और डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग करने और

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के स्थापित ब्रांड का भी लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

4.1.6. सहकारी समितियों को अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे उनके ब्रांड का प्रदर्शन होगा और बाजारों तक पहुँच बढ़ेगी।

4.2. अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच सहित बहुआयामी विस्तार को बढ़ावा देना और सदस्यों की आय में वृद्धि करना

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ:

4.2.1. निर्यात हब पहल के रूप में 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) के अंतर्गत सहकारी समितियों को निर्यात योग्य उत्पादों की पहचान और संरेखन के लिए प्रोत्साहित करना।

4.2.2. डेयरी सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण के लिए "श्वेत क्रांति 2.0" हेतु डेयरी सहकारी समितियों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना।

4.2.3. ऐसे क्षेत्र, जहाँ मत्स्य पालन आजीविका का मुख्य स्रोत है, विशेषकर उन जिलों में जहाँ अवसंरचना कमजोर है, वहाँ मत्स्य बीज उत्पादन सहित मात्स्यिकी सहकारी समितियों के प्रोत्साहन पर बल देना।

4.2.4. जैविक उत्पाद बाजार में अग्रणी बनने के लिए सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।

4.2.5. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सहकारी क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और देश के कुल निर्यात में सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

4.2.6. प्राथमिक सहकारी समितियों के किसान सदस्यों के माध्यम से मिलेट्स (millets) उत्पादन को प्रोत्साहित करना और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा इसे नियमित आहार का एक प्रमुख हिस्सा बनाने में लोकप्रिय करने के लिए NAFED, NCCF, इत्यादि जैसे राष्ट्रीय सहकारी समितियों को इसकी खरीद हेतु प्रोत्साहित करना।

4.2.7. कृषि पद्धति (cropping pattern) में परिवर्तन करके सहकारी समितियों के किसान सदस्यों द्वारा दलहन, तिलहन और मक्का के उत्पादन में वृद्धि करना तथा दलहन व तिलहन में देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने एवं आयात पर निर्भरता घटाने के लिए NAFED, NCCF, इत्यादि जैसी राष्ट्रीय सहकारी समितियों

को इनकी खरीद हेतु प्रोत्साहित करना।

4.2.8. कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को घटाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (ethanol blending programme) को सहयोग देने हेतु सहकारी चीनी समितियों को मक्का सहित वैकल्पिक फीडस्टॉक का उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना।

4.2.9. सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए पूंजी प्रवाह (capital infusion) द्वारा मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण सहित मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं की वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

4.2.10. सहकारी समितियों के दायरे में कम-से-कम 50 करोड़ लोगों को शामिल करने के लिए आर्थिक संरचना का सृजन करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के योगदान को आगामी 10 वर्षों में तीन गुना करने का मार्ग प्रशस्त करने की सिफारिश के लिए एक कार्यबल का गठन करना।

5. रणनीतिक मिशन स्तंभ III: सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना

सहकारी समितियों का डिजिटल डिवाइड (digital divide) कम करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों (latest technologies) को अपनाने और अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने, अवसंरचना, उत्पादों और सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक पेशेवर प्रबंधित आर्थिक संस्था बनाने की आवश्यकता है।

5.1. प्रभावशाली और पारदर्शी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी स्वीकरण को प्रोत्साहन

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ:

5.1.1. डेटा आधारित निर्णय लेने और बेहतर सेवा डिलिवरी के लिए 'कोऑपरेटिव स्टैक' (cooperative stack) तैयार करना और उसे विकसित कराने में सहायता करना। इस पहल का लक्ष्य सहकारी समितियों में उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा का एकत्रण/संग्रह करना और नवाचार तथा नई सेवाओं के सृजन के लिए उसे हितधारकों को आसानी से उपलब्ध कराना है। इस स्टैक का विकास मौजूदा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें अन्य उपयुक्त डेटाबेस भी शामिल किए जा सकते हैं तथा वर्तमान में विकासाधीन 'कृषि स्टैक' (agriculture stack) के साथ इसका एकीकरण किया जा सकता है, जो अन्य बातों के अलावा, कृषि मंत्रालय के डेटाबेस के साथ सहकारी बैंकों के डेटा एकीकरण करके ब्याज अनुदान की रियल टाइम रिलीज में सुविधा प्रदान करेगा।

5.1.2. विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों की सहकारी समितियों के तकनीकी उन्नयन में सक्रिय सहयोग के लिए राष्ट्रीय सेक्टोरल परिसंघों को प्रोत्साहित करना।

5.1.3. ज्यादा ग्राहकों तक पहुँच और उत्पादों का बेहतर दाम पाने के लिए सहकारी समितियों को GeM, ONDC जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाना।

5.2. सहकारी समितियों को सहकारी सिद्धांतों पर आधारित पेशेवर-प्रबंधित आर्थिक इकाई में रूपांतरित करना

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ:

5.2.1. उद्योग अभिमुखी (industry oriented) शिक्षा और आवश्यकता आधारित क्षमता निर्माण के लिए समेकित, मानकीकृत, और गुणवत्ता के प्रति सजग राष्ट्रीय स्तर की संस्थागत संरचना के सृजन द्वारा

सहकारी समितियों के संगठनात्मक प्रबंधन को पेशेवर बनने हेतु प्रोत्साहित करना। इसे एक शीर्ष संगठन की स्थापना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो:

5.2.1.1. राष्ट्रीय स्तर के निकाय के रूप में कार्य करते हुए संबद्धता द्वारा सहकारी क्षेत्र की मौजूदा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों के अखिल भारतीय नेटवर्क का सृजन करेगा और शिक्षकों की नियुक्ति, प्रवेश मानदंड, अध्ययन सूची, पाठ्यक्रम, परीक्षा, इत्यादि को विनियमित करेगा,

5.2.1.2. सहकारी क्षेत्र के लिए युवा और योग्य श्रमबल की स्थायी और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा,

5.2.1.3. कौशल संबंधी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए मौजूदा कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के साथ यथोचित रूप से तालमेल बिठाएगा,

5.2.1.4. सहकारी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम व अध्ययन सूची तैयार करेगा,

5.2.1.5. सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संचालन और प्रोत्साहन करेगा,

5.2.1.6. सहकारी और निजी क्षेत्रों से प्रायोजित अनुसंधान/ट्रैक चेयर की प्रथा के संस्थानीकरण का प्रयास करेगा,

5.2.1.7. सहकारी क्षेत्र में केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंक्यूबेशन और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का विकास करेगा,

5.2.1.8. आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने के लिए नए और उभरते क्षेत्रों में social enterprise incubators (SEIs) को प्रोत्साहित करेगा।

5.2.2. उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सहकारिता केंद्रित पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

5.2.3. सहकारी शिक्षा, कौशल विकास और सहकारिता के विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में सहकार-विशिष्ट गुणवत्तार्पूण शैक्षणिक सामग्री को विभिन्न भारतीय भाषाओं में तैयार करने के लिए केंद्र/राज्य सरकारों के पास उपलब्ध सहकारी शिक्षा फंड (CEF) और इससे सम्बंधित भारत सरकार के अन्य मंत्रालय के पास उपलब्ध फंड के उपयोग को बढ़ावा देना।

5.2.4. प्रस्तावित शीर्ष संगठन द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य के लिए सहकारी क्षेत्र में नवाचार और इंक्यूबेशन को

प्रोत्साहित करने हेतु संस्थागत प्रणाली की स्थापना में सहायता प्रदान करना:

5.2.4.1. स्थानीय संसाधनों और साधनों पर आधारित सतत (sustainable) और प्रगतिशील व्यवसाय आचरणों तथा प्रौद्योगिकी का विकास और प्रसार करना,

5.2.4.2. उभरते क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों को इंक्यूबेट करना,

5.2.4.3. सहकारी क्षेत्र में उद्यम कौशल को प्रोत्साहित और प्रसारित करना।

5.2.5. मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण को एक अनिवार्य तत्व मानकर सहकारी समितियों को अपनी उपविधियों को संशोधित करके अपने बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों में कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, प्रबंधन विकास और अन्य संगठनात्मक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना।

5.2.6. नई सहकारी समितियों सहित सभी सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए सहकारी सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने हेतु समयबद्ध और एकरूपता से प्रयास करना।

5.2.7. ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शोधकर्ताओं एवं विद्वानों को सहकारिता के महत्वूपर्ण क्षेत्रों में डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट के दौरान अनुसंधान करने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय/राज्य सहकारी समितियों/परिसंघों को अनुसंधान फेलोशिप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

5.2.8. राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों, परिसंघों और संघों को जमीनी स्तर पर सहकारी लर्निंग सेन्टर की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना। इन केंद्रों की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए इनमें क्षमता निर्माण और एक्सटेंशन कार्यकलापों के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

5.2.9. सदस्य सहकारी समितियों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए परिसंघों को मुख्य प्रदर्शन सूचकांक (key performance indicators) विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सहकारी समितियों की ताकत की पहचान के लिए सेक्टोरल रेटिंग (sectoral rating) का विकास किया जा सकता है।

5.2.10. प्रौद्योगिकी-समर्थित भर्ती सुधारों के माध्यम से उत्तरदायी शासन, नेतृत्व और कर्मियों की क्षमता को बढ़ावा देकर उच्च स्तरीय पेशेवरता को प्रोत्साहित करना।

6. रणनीतिक मिशन स्तंभ IV: समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुँच का विस्तार

यह नीति समाज के सभी वर्गों के व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को सहकारी तंत्र में शामिल किए जाने को प्राथमिकता देती है। यह सहकारिता को एक जन-आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी परिसंघों/समितियों की भागीदारी और सहभागिता की परिकल्पना करती है।

6.1. समावेशिता और सदस्य केंद्रीयता को प्रोत्साहित करना

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ:

6.1.1. समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, आदि) की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सहकारी समितियों में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना।

6.1.2. मात्स्यिकी, डेयरी, हथकरघा, हस्तशिल्प, लघु वनोत्पाद जैसे क्षेत्रों में कमजोर और सीमांत वर्गों की सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त करना।

6.1.3. लैंगिक (gender), कमजोर वर्गों, आदि पर विसमूहित डेटा (disaggregated data) के विकास में सहयोग करना और लक्षित इंटरवेंशन (targeted intervention) हेतु राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में उन्हें शामिल करने के लिए अनुशंसा करना।

6.1.4. सदस्यों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न स्तरों और सेक्टरों की सहकारी समितियों को निम्नलिखित हेतु मॉडल उपविधियाँ तैयार करने तथा उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना:

6.1.4.1. सदस्यों की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करना,

6.1.4.2. सदस्य केंद्रित फीडबैक एकत्रित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना और निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना,

6.1.4.3. महिलाओं और समुदाय के कमजोर वर्गों की सदस्यता सुनिश्चित करना,

6.1.4.4. निर्णय लेने में सदस्य केंद्रीयता सुनिश्चित करना,

6.1.4.5. पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त संगठनात्मक शासन सुनिश्चित करना,

6.1.4.6. विभिन्न पदों पर युवाओं और सुयोग्य श्रमबल की नियुक्ति को प्रोत्साहन देना।

6.1.5. प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य परिसंघों/संघों को निम्नलिखित हेतु प्रोत्साहित करना:

6.1.5.1. सदस्यों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति शिक्षित, संवेदनशील और जागरुक करने के लिए सहकारी सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित प्रभावशाली और अनवरत (continuous) सदस्य शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना,

6.1.5.2. सदस्यों की उद्यम कौशलता में वृद्धि को प्रोत्साहित करना,

6.1.5.3. सदस्यों की आय वृद्धि की दिशा में कार्य करने के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना।

6.2. जन आंदोलन के रूप में सहकारी समितियाँ

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ:

6.2.1. विभिन्न कक्षाओं के स्कूली पाठ्यक्रमों में सहकारिता को एक विषय के रूप में शामिल करना।

6.2.2. युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों को सहकारी समितियों के लाभ से अवगत कराने और उनमें जागरुकता बढ़ाने के लिए राष्ट्र स्तरीय परिसंघों/संघों को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके फलस्वरूप सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे सदस्यता में वृद्धि होगी:

6.2.2.1. सहकारी आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के लिए युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों में सामूहिक जागरुकता और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना,

6.2.2.2. गरीबों और सीमांत वर्गों के उत्थान में सहकारी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली success stories का प्रदर्शन करना और उन्हें प्रसारित करना,

6.2.2.3. Success stories का प्रचार और प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों/संघों/समितियों की मौजूदा सोशल मीडिया infrastructure एवं अन्य विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना।

7. रणनीतिक मिशन स्तंभ V: नए क्षेत्रों में विस्तार

यह नीति सहकारी समितियों को भविष्य में अपनी उपस्थिति और सदस्यों का आधार बढ़ाने के लिए उन्हें उपयुक्त नए और उभरते क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सहकारी समितियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत (sustainable) कृषि, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने जैसे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में मदद करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल प्रथाएं अपनाने हेतु प्रोत्साहित करती है।

7.1. नए और उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विस्तार को प्रोत्साहित करना

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ:

7.1.1. प्राथमिक सहकारी समितियों को व्यवहार्यता के आधार पर वित्तीय और प्रचालनात्मक रूप से आत्मनिर्भर संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए बहुउद्देशीय बना कर उन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, गोदामों, कॉमन सेवा केंद्र (CSC), उचित मूल्य की दुकानों, LPG वितरक, पेट्रोल/ डीजल रिटेल आउटलेट, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना के अधीन प्रचालन और रखरखाव, इत्यादि जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।

7.1.2. कार्यों में विविधता लाने और सदस्यों की आय को बढ़ाने के लिए शहरी और ग्रामीण, दोनों के नए और उभरते क्षेत्र जैसे माइक्रो-बीमा, नवीकरणीय ऊर्जा, जल वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, बायोगैस उत्पादन, मोबाइल एप्लिकेशन आधारित एग्रीगेटर सेवा प्रदाता (जैसे – टैक्सी चालकों, घरेलू सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों जैसे कि प्लंबर, बिजली मिस्त्री, आदि की सहकारी समिति), इत्यादि में सहकारी समितियों के प्रवेश को प्रोत्साहित और मजबूत करना।

7.2. सततता (sustainability) हेतु चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) और पर्यावरण अनुकूल आचरणों को प्रोत्साहन

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ:

7.2.1. डिजिटलीकरण और Internet of Things (IoT), ब्लॉक चेन, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, आदि जैसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज (disruptive technologies) को अपनाकर चक्रीय अर्थव्यवस्था के आचरणों को अपनाने के लिए उन्हें निम्नलिखित रूप से प्रोत्साहित करना:

7.2.1.1. सहकारी क्षेत्र में पायलट परियोजना के रूप में अपनाए जाने लायक ऐसे मामलों की व्यावहारिकता के आकलन को प्रोत्साहित करना।

7.2.2. प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के किसान सदस्यों को जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति (cropping pattern) अपनाने और अपने खेतों के मेड़ों पर सौर, पवन, इत्यादि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देकर कार्बन फुटप्रिंट घटाने और जलवायु जोखिमों की रोकथाम पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।

7.2.3. प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के माध्यम से जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, कृषि वानिकी, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने को प्रोत्साहित करना। इस संबंध में सरकार प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे सकती है।

7.2.4. प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से गाँवों में बायोगैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

8. रणनीतिक मिशन स्तंभ VI: सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना

सहकारी समितियों की success stories और सहकारिता के क्षेत्र की बड़ी हस्तियों की जीवनियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना; ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारी मूल्यों और सिद्धांतों और सहकारी समितियों की कार्यशैली की उचित समझ को विकसित करने के लिए अनुभव आधारित सहकारी ज्ञान (experiential learning) प्रदान करना तथा सहकारी इतिहास, कानून, ऑडिट और लेखांकन, वित्त, शासन और प्रचालन जैसे विभिन्न डोमेन एवं सहकार-केंद्रित व्यवसाय प्रबंधन में पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना; सहकारी क्षेत्र में अर्थपूर्ण नियोजन के लिए इसमें ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करना और उसे उन्नत करना भी शामिल है। प्रस्तावित शीर्ष संगठन और उससे संबद्ध संस्थाएँ इस स्तंभ के अंतर्गत सभी कार्यकलापों का नेतृत्व करेंगी।

8.1. युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक करियर अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना।

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ

8.1.1. सम्मेलनों, कार्यशालाओं, नाटकों, फिल्मों और वीडियो के माध्यम से तथा विद्यालयों, कॉलेजों व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफलता की कहानियाँ साझा कर जिला-स्तर पर युवाओं को राष्ट्रव्यापी आंदोलन से जोड़ना और इसे विकसित बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह प्रस्तावित शीर्ष संगठन, राष्ट्रीय/राज्य परिसंघों सहित राज्य-स्तरीय सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से इस पहल को आगे बढ़ाएगा।

8.1.2. सहकारी समितियों के प्रबंधन को पेशेवर रूप से चलाने के लिए भावी सहकारी नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहित करना।

8.2. मानकीकृत, उच्च-गुणवत्ता, सहकार-केंद्रित पाठ्यक्रमों के विकास और प्राधिकृत विषयवस्तु के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ

8.2.1. राष्ट्र/राज्य-स्तरीय सहकारी समितियों/परिसंघों, आदि सहित हितधारकों के साथ बहुस्तरीय परामर्शी

प्रक्रिया के माध्यम से प्रमाणन पाठ्यक्रमों के साथ-साथ डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों के लिए सहकार केंद्रित पाठ्यक्रमों की पहचान करना, तैयार करना और उनका विकास करना। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्र, रोजगार के लिए तैयार हों और सहकारी क्षेत्र में अपनी क्षमताओं और कौशल के अनुसार उचित नौकरी प्राप्त कर सकें।

8.2.2. सहकारिता के पाठ्यक्रमों को सभी के लिए सुगम बनाने हेतु डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों को शीर्ष संगठन द्वारा प्रमाणित डिप्लोमा, डिग्री और प्रमाणन पाठ्यक्रम भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।

8.3. सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास और कौशल उन्नयन के इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ

8.3.1. सहकारी समितियों में तकनीकी और गैर-तकनीकी नौकरियों के लिए बुनियादी स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास के कार्यक्रम प्रदान करने वाले केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व या उनके द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों का एक डेटाबेस बनाना।

8.3.2. साझेदारी/समझौता ज्ञापनों के माध्यम से प्रशिक्षण और कौशल विकास संस्थानों के अखिल भारतीय इकोसिस्टम का विकास करना।

8.3.3. ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी क्षेत्र में रोजगार-योग्य बनाने के लिए उनमें वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना।

8.4. सहकारी क्षेत्र में अंशकालिक विषय विशेषज्ञों (part time resource persons), उत्कृष्ट शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और अतिथि संकाय के रूप में सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना।

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ

8.4.1. संबद्ध संस्थानों के लिए अतिथि संकाय और अंशकालिक विषय विशेषज्ञों सहित विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और विषय विशेषज्ञों के लिए एक मानकीकृत भर्ती प्रक्रिया और पात्रता शर्तों (जैसे

कि शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, आदि) का विकास करना और सिफारिश करना।

8.4.2. संबद्ध संस्थानों में शिक्षण कर्मियों के विभिन्न स्तरों के लिए यथोचित और आकर्षक वेतन संरचना तैयार करना।

8.4.3. सहकारी क्षेत्र में मौजूदा शिक्षकों और अनुदेशकों की शैक्षिक क्षमता बढ़ाते हुए एक सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से नए प्रमाणित शिक्षकों और अनुदेशकों का समूह बनाना।

8.4.4. सहकारी शिक्षकों, अनुदेशकों, विषय विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों सहित उनके स्थान, अनुभव और विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित सूचना का राष्ट्रव्यापी डेटाबेस स्थापित करना।

8.5. सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भावी अभ्यर्थियों के लिए नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया को सरल करके सुविधाजनक इकोसिस्टम का विकास करना।

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ

8.5.1. प्रस्तावित शीर्ष संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल सहकारी रोजगार प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रबंधन करना। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सहकारी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों के साथ-साथ रोजगार की माँग (रोजगार ढूंढने वाले छात्रों से) का ऑनलाइन पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा।

9. निगरानी और कार्यान्वयन संरचना

9.1. इस नीति का कार्यान्वयन सहकारी संघवाद (cooperative federalism) की भावना पर आधारित होगा।

9.2. सहकारी संरचना को देखते हुए इस नीति के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों/परिसंघों/संघों से सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होगी। इसमें सेक्टोरल विकास संस्थान जैसे NABARD, NDDB, NFDB इत्यादि भी शामिल हैं।

9.3. इस नीति का प्रभावशाली और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय में एक "कार्यान्वयन प्रकोष्ठ" स्थापित किया जाएगा, जिसे संबंधित विषय, दस्तावेजीकरण, समन्वय, निगरानी, रिपोर्टिंग, इत्यादि पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

9.4. इस नीति के आधिकारिक रूप से जारी होने के तुरंत बाद ही नीति कार्यान्वयन की एक व्यापक कार्ययोजना के साथ सिफारिश-वार समयावधि को अंतिम रूप दिया जाएगा।

9.5. इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित द्वारा एक संस्थागत प्रणाली स्थापित की जाएगी:

9.5.1. समग्र मार्गदर्शन, अंतरमंत्रालयीय समन्वय, नीति की आवधिक समीक्षा, आदि के लिए माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में "सहकारी नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति" का गठन किया जाएगा। इस समिति में सदस्य के रूप में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है।

9.5.2. केंद्र-राज्य समन्वय, कार्यान्वयन समस्याओं का समाधान, आवधिक निगरानी और समीक्षा, आदि के लिए सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में "नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति" का गठन किया जाएगा। इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिवों, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी विभागों के सचिवों/प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों, नीति आयोग के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों/संघों/समितियों, NABARD, NDDB, NFDB, NCCT, VAMNICOM, इत्यादि के अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।

स्वायत्तता
और स्वतंत्रता
Autonomy and
Independence
सदस्यों की
आर्थिक भागीदारी
Member Economic
Participation
शिक्षा, प्रशिक्षण
और जानकारी
Education, Training
and Information
सदस्यों द्वारा
लोकतांत्रिक नियंत्रण
Democratic
Member Control
सहकारी समितियों
के बीच सहयोग
Cooperation
among
Cooperatives
सहकारी समिति
के सिद्धांत
स्वैच्छिक और
खुली सदस्यता
Voluntary and Open
Membership
समुदाय
के लिए चिंता
Concern for
Community

INAUGURATION
International Year of Cooperatives
BY
SHRI NARENDRA MODI
SHRI AMIT SHAH

International Year of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

दुनिया के लिए सहकारिता एक मॉडल है

लेकिन भारत के लिए यह संस्कृति का आधार और एक जीवनशैली है।

श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

सहकारिता वह शक्ति है जो व्यक्ति की शक्तियों को

सामूहिक रूप से लाकर समाज की शक्ति के रूप में परिवर्तित करती है

श्री अमित शाह

माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

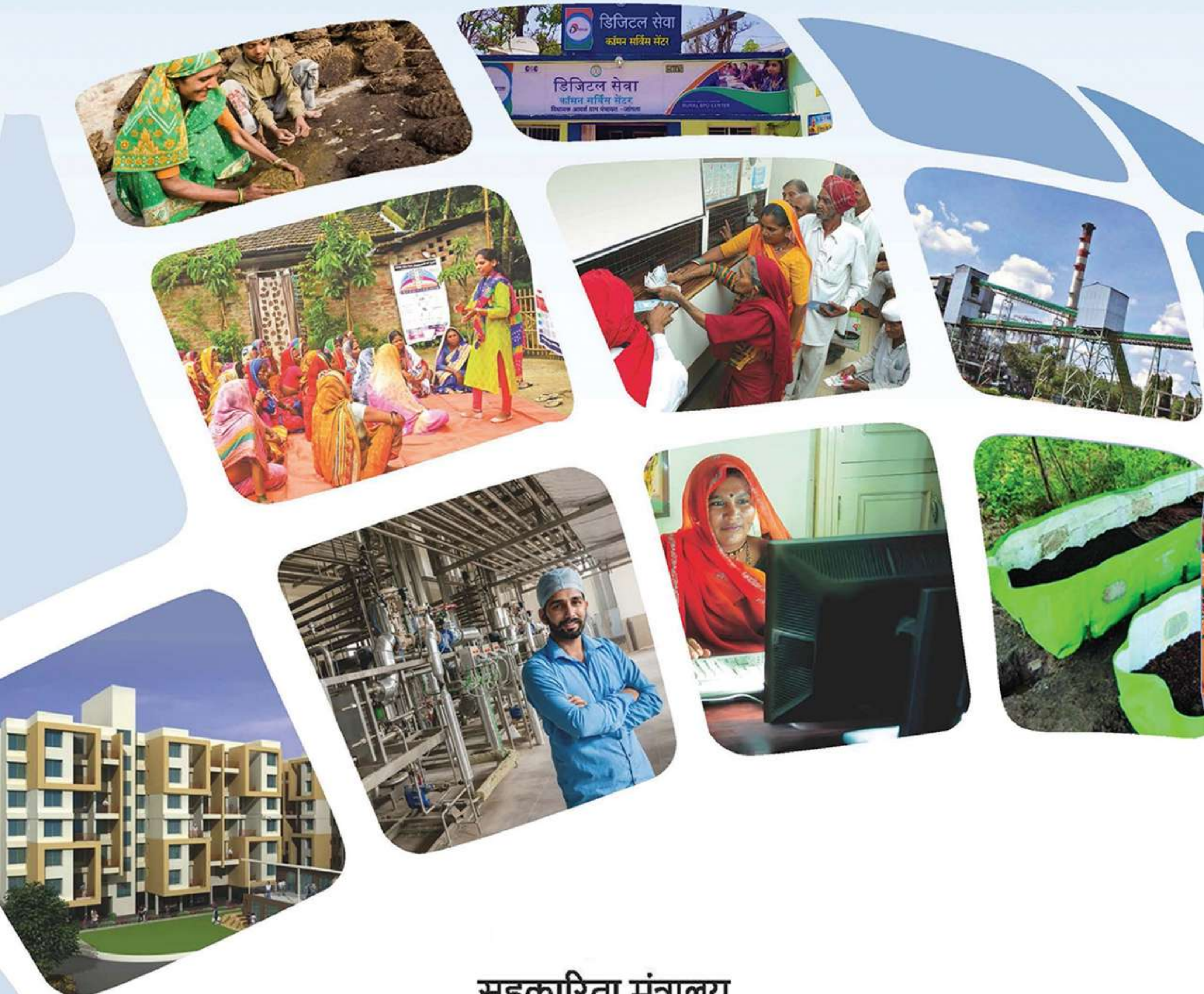

सहकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली